vad{k.k ifrosnu vof/k 01-04-2009 ls 31-03-2010 esa lfEefyr vkfMV iSjk dh xEHkhj

vfu;ferrkvksa dk lkj %&

Øe la[;k	fooj.k	iSjk la[;k
1	कुल 83 ऑडिट पैरों में से मात्र 5 ऑडिट पैरों का ही निपटारा किया गया तथा शेष ऑडिट पैरों के निपटारे हेतु ठोस कार्यवाही किए जाने की आवष्यकता है।	1
2	मण्डी समिति द्वारा पूर्वाकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए बिलों में से ₹31,868.00 की कटौती की गई।	3
3	दिनांक 31.03.2010 को मण्डी समिति के विभिन्न बैंक बचत खातों तथा रोकड़ बही के अन्तिम शेष में ₹77,80,147.16 का भारी अन्तर।	5(क)
4	दिनांक 31.03.2010 को ₹1,91,30,130.00 की राशि ही सावधि जमा में निवेषित थी जबकि ₹1,99,99,408.56 की राशि विभिन्न बैंकों के बचत खातों में जमा थी।	5(ख)
5	मण्डी समिति द्वारा आवष्यकता से अधिक राशि का हस्तगत शेष रखना।	5(ग)
6	दुकानों के किराये की राशि ₹8,69,745.00 वसूली हेतु शेष।	5(ट)
7	राशि ₹18,40,220.00 बतौर मण्डी शुल्क की कम वसूली।	6
8	मण्डी शुल्क ₹8,88,080.00 की वसूली न होना।	7
9	राशि ₹44,489.00 के कृषि जिन्सों के क्रय पर मण्डी शुल्क की अदायगी न करना।	9
10	राशि ₹11,004.00 के मण्डी शुल्क की शेष वसूली।	11
11	आयकर विभाग को ₹43,46,720.00 का अनुचित भुगतान।	12
12	निर्धारित समय में मण्डी शुल्क की वसूली न होने के फलस्वरूप लाखों रुपये की जुर्माना राशि की शेष वसूली।	13
13	व्यापारियों/कमीषन एजेन्टों द्वारा क्रय–विक्रय की रिटर्न प्रस्तुत न करना।	14
14	प्रभारी टर्मिनल मण्डी परवाणु द्वारा एक से अधिक प्राप्ति एवं वितरण पुस्तक का रख–रखाव।	16
15	दुकानों/कार्यालयों का बिना प्रतिभूति के आबंटन।	17
16	विश्राम गृह की आय वसूली में अनियमितता।	19
17	मण्डी समिति द्वारा विभागीय वाहन संख्या : एच0पी0–12–ए–0006 की लॉग बुक का उचित रख–रखाव न करना।	20

e.Mh lfefr lkyu] fgekpy in'k d y[kkvk dk vad{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 01-04-2009 l 31-03-2010

1 xr vad{k.k ifronu %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति परिशिष्ट ''क'' पर दर्शाई गई है। लम्बित पैरों के निपटारे हेतु समिति द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। परन्तु फिर भी भारी राशि के वसूली के मामले शेष हैं जिसके फलस्वरूप समिति को निरन्तर वित्तीय हानि वहन करनी पड़ रही है तथा समिति द्वारा सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं की जा रही है। अतः अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित आय की वसूली के प्रकरणों पर शीघ्र–अतिशीघ्र कार्यवाही की जानी सुनिष्चित की जाए ताकि समिति की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित हो सके।

2 orZeku vad{k.k %&

मण्डी समिति सोलन का अवधि 01.04.2009 से 31.03.2010 तक का अंकेक्षण कार्य पूर्व लेखा–परीक्षा प्रणाली के आधार पर श्री ज्ञान चन्द शर्मा, अनुभाग अधिकारी तथा श्री अमर दत्त, लेखा परीक्षक द्वारा किया गया।

अवधि 01.04.2009 से 31.03.2010 के दौरान श्री मोहन सिंह ठाकुर, अध्यक्ष तथा श्री पुरूषोतम वर्मा, सचिव पद पर कार्यरत थे।

3 y[kk ijh{kk e iLrr fcyk e dVkfr;k %&

मण्डी समिति द्वारा अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत विभिन्न बिलों के पूवांकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय नियमों की जानकारी के अभाव में बिलों को अनियमित रूप से पारित करके अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया जिसकी विस्तृज जाँच पर ₹31,868.00 के अधिक भुगतान की कटौती करके अनियमित भुगतान को रोका गया। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण द्वारा विभिन्न बिलों को पारित करने से पूर्व उनमें पाई गई अनियमितताओं को समय पर सूचित कर आवष्यक सुधार करने के उपरान्त प्रस्तुत करने को कहा गया जिससे संस्था के लाखों रुपयों के व्यर्थ व्यय को रोका गया।

4 vad{k.k 'kYd %&

निवासी अंकेक्षण योजना, मण्डी समिति सोलन में कार्यरत अनुभाग अधिकारी तथा लेखा परीक्षक का वित्त वर्ष 2009–10 का अंकेक्षण शुल्क ₹8,47,805.00 आंका गया है, जिसे शीघ्रातिषीघ्र निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, षिमला–171009 को बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्रेषित किया जाए।

5 foÙkh; fLFkfr ,o fo'y"k.k %&

मण्डी समिति सोलन की वर्ष 2009–10 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :–

	प्रारम्भिक शेष	राशि ₹3,03,12,419.89
	प्राप्तियां (विवरण परिशिष्ट ''ख–III'' पर)	राशि ₹5,30,83,321.67
	d|y ;kx	jkf'k ₹8]33]95]741-56
	भुगतान (विवरण परिशिष्ट ''ख– IV पर)	राशि ₹4,39,65,038.00
	अन्तिम शेष	राशि ₹3,94,30,703.56

अन्तिम शेष का विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

(1)	विभिन्न बैकों के बचत खातों में जमा राशि (विवरण परिशिष्ट ''ख–I पर)	राशि ₹2,77,79,555.72
(2)	सावधि जमा में निवेश (विवरण परिशिष्ट ''ख पर)	राशि ₹1,91,30,130.00
(3)	हस्तगत शेष	राशि ₹3,00,665.00
(4)	स्थाई अग्रिम	राशि ₹500.00
	d|y ;kx	jkf'k ₹4]72]10]850-72

मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2009–10 के वार्षिक लेखे परिशिष्ट–ख–I से ख–IV पर संलग्न है जिन्हें अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 30 दिनांक 06.10.2010 द्वारा निम्न टिप्पणियों सहित आवश्यक सुधार एवं वांछित कार्यवाही हेतु सचिव मण्डी समिति को प्रस्तुत किया गया।

¼d½ jkdM cgh ,o cdk e tek jkf'k;k d vfUre 'k"kk e Hkkjh vUrj %&

मण्डी समिति के विभिन्न बैंक बचत खातों व रोकड़ बही के दिनांक 31.03.2010 को दर्षाये गए अन्तिम शेष में ₹77,80,147.16 का भारी अन्तर पाया गया, जमा राशियों के अन्तिम शेषों में अन्तर समिति की सही एवं सत्य वित्तीय स्थिति नहीं दर्षाती है जिसमें आवश्यक सुधार एवं सही प्रविष्टि कर अन्तर को समाप्त कर वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। उक्त अन्तर का विवरण परिशिष्ट–ख–II पर संलग्न है। तथा विभिन्न बैंकों का मिलान विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ट'' पर संलग्न है।

¼[k½ vd|'ky foÙkh; i|cU/ku %&

दिनांक 31.03.2010 को रोकड़ बही का अन्तिम शेष ₹3,94,30,703.56 था जिसमें से मात्र ₹1,91,30,130.00 की राशि ही सावधि जमा मे निवेषित थी तथा ₹1,99,99,408.56 की राशि मण्डी समिति के बचत खाते में जमा थी जिस पर सावधि जमा की तुलना मे ब्याज की दर बहुत ही कम होती है तथा मण्डी समिति को सावधि जमा पर प्राप्त होने वाली ब्याज की हानि वहन करनी पड़ रही है अतः भविष्य में मण्डी समिति के धन को उच्च उपार्जित ब्याज दरों वाली प्रतिभूतियों मे निवेषित किया जाना सुनिष्चित किया जाए तथा प्राविधित व्यय बजट के दृष्टिगत आवष्यकतानुसार ही शेष राशि बचत खातों मे रखी जाए।

¼x½ vko';drk ls vf/kd jkf'k dk gLrxr 'ks"k ¼&

मण्डी समिति द्वारा दिनांक 31.03.2010 को ₹3,00,665.00 का हस्तगत रोकड़ शेष (Cash in Hand) रखा गया था जिसे कम करके संस्था की आवष्यकता के अनुसार ही रोकड़ हस्तगत रखा जाए तथा शेष राशि को उच्च उपार्जित ब्याज दरों वाली प्रतिभूतियों में निवेश किया जाए अन्यथा अनावष्यक रूप से राशि हस्तगत रखने की स्थिति में यह अस्थाई दुर्विनियोजन है, जिससे निष्चित तौर पर परिहार किया जाए।

¼?k½ fMikWftV odZl dk mi;ksfxrk izek.k&i= izLrqr u djuk ¼&

मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य विपणन बोर्ड के पास दिनांक 31.03.2010 को ₹2,41,94,480.00 की डिपोज़िट वर्कस राशि (अग्रिम) शेष है जिसमे बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त किए जाने शेष हैं। जिसे शीघ्र–अतिषीघ्र प्राप्त कर अंकेक्षण को प्रस्तुत करें तथा इस राशि के सर्मथन में विपणन बोर्ड द्वारा जारी मिलान पत्र भी प्रस्तुत करें। (विवरण परिशिष्ट ''ख–V'' पर)

¼³½ vnr ¼**Outstanding**½ e.Mh 'kqYd dh lwph izLrqr u djuk ¼&

मण्डी समिति द्वारा अंकेक्षण के बार–बार अनुरोध करने पर भी दिनांक 31.03.2010 को मण्डी शुल्क की अदत राशि का आंकलन नहीं किया जा रहा है जिसे शीघ्र तैयार कर अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

¼p½ izkfIr ,oa Hkqxrku [kkrs ij vads{k.k dh fVIif.k;ka ¼&

मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2009–10 की भुगतान विवरणी के क्रम संख्या 11(सी) के अर्न्तगत ₹1,62,00,000.00 पूंजीगत खर्चों में दर्षाया गया है जबकि वास्तव में यह राशि हिमाचल प्रदेश राज्य विपणन बोर्ड को निर्माण कार्य के लिए अग्रिम दिया गया है। अतः इसे डिपोज़िट वर्कस शीर्षक के अर्न्तगत दर्षाया जाए।

¼N½ lfefr ds [kpksZa esa vlkekU; o`f) rFkk vuqekfur vk; ls de vk; dh izkfIr¼&

वर्ष 2009–10 के दौरान निम्नलिखित व्यय की मदों में गत वर्षों की तुलना में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई हैं। अतः संस्था के खर्चों को नियन्त्रित करने के प्रयास किए जाएं तथा अनावष्यक खर्चों पर पूर्ण अंकुश लगाया जाए।

[kp dh en	o"k 2007&08	o"k 2008&09	o"k 2009&10
बिजली–पानी	291005	227751	330669
स्टेषनरी	91169	95915	155608

उपरोक्त दर्षाये गए खर्चों में वृद्धि के विपरीत समिति की निम्नलिखित आय की मदों में अनुमानित आय से कम आय प्राप्त हुई है जिसकी कमी के कारणों की गहन जाँच कर वृद्धि के उपाय किए जाएं।

vk; dh en	vuqekfur vk;	okLrfod ikIr vk;	ikIr vk; dh izfr'krrk
मण्डी शुल्क	3,00,00,000.00	2,68,57,178.00	89%
विश्राम गृह व दुकानों से प्राप्त किराया	35,00,000.00	25,10,386.00	71%

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 2009–10 का तुलनपत्र (Balance Sheet) नियमानुसार तैयार कर पूर्ण अभिलेख/दस्तावेज़ों सहित शीघ्र–अतिषीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

¼t½ vuqnku %& वर्ष 2009–10 के दौरान मण्डी समिति सोलन द्वारा कोई भी अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है।

¼>½ LVkQ vfxze %& मण्डी समिति के दिनांक 31.03.2010 को ₹31,000.00 के स्टाफ अग्रिम शेष है जिसका विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट ''ग'' पर संलग्न है।

¼¥½ _.k %& मण्डी समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विपणन बोर्ड़ से वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान ₹1,00,00,000.00 का ऋण लिया गया था जिसमें से दिनांक 31.03.2010 को ₹79,26,200.00 का ऋण शेष था तथा विपणन बोर्ड़ से इस राशि का मिलान पत्र प्राप्त कर अंकेक्षण मे प्रस्तुत किया जाना सुनिष्चित किया जाए। विवरण परिशिष्ट 'ज' पर संलग्न है।

¼V½ nqdkuksa ds fdjk;s dh jkf'k ₹8]69]745-00 dh olwyh 'ks"k %&

मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत बकाया किराया सूची के अनुसार दिनांक 31.03.2010 को ₹8,69,745.00 की राशि वसूली हेतु शेष है जिसका विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट ''घ'' पर संलग्न हैं किराये की बकाया राशि की वसूली हेतु

समिति द्वारा ठोस कार्यवाही करने की आवष्यकता है। अतः उपरोक्त बकाया राशि की वसूली हेतु तुरन्त यथोचित पग उठाए जाऐं ताकि समिति की आय की उगाही में कोताही न हो सके तथा वसूली न होने के कारण ब्याज के रूप में होने वाली हानि से भी बचा जा सके।

¼B½ yht fiife;e@lok 'kYd@vkcVu dh cdk;k jkf'k dh olyh %&

मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत लीज़ प्रिमियम/सेवा शुल्क व लीज़ पर आबंटित दुकानों की दिनांक 31.03.2010 को (बकाया राषिकी सूची के अनुसार) ₹36,66,436.00 (परिशिष्ट ''ङ'') की धनराशि वसूली हेतु शेष है जिसकी अतिषीघ्र वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए ताकि किसी प्रकार की कोताही के साथ–साथ वसूली न होने के कारण ब्याज के रूप में होने वाली हानि से भी बचा जा सके। वसूली योग्य बकाया राशियों का यह प्रकरण समिति के उच्च प्राधिकारियों के विषेष ध्यानार्थ भी उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

¼M½ jkf'k ₹1]10]228-85 dh olyh ;kX; ifrHkfr ¼Security receivable½ vU; foHkkxk e tek %&

मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार दिनांक 31.03.2010 को ₹1,10,228.85 की प्रतिभूति बिजली, पानी व टैलिफोन के लिए विभिन्न विभागों मे जमा है। जिसका विवरण परिशिष्ट ''च'' पर संलग्न है।

¼<½ jkf'k ₹13]15]776-00 n; ifrHkfr ¼Security payable½ d :i e tek %&

दिनांक 31.03.2010 को मण्डी समिति के खाते में विभिन्न दुकानदारों को देय प्रतिभूति के रूप में ₹13,15,776.00 की राशि जमा है। (विवरण परिशिष्ट ''छ'' पर संलग्न है)।

6 jkf'k ₹18]40]220-00 e.Mh 'kYd dh de olyh ckj %&

मैं0 सुरेश कुमार जगोता जो कि कुनिहार क्षेत्र में कत्था का व्यापार कर रहे थे, की मण्डी शुल्क की जाँच के दौरान पाया गया कि उक्त व्यापारी द्वारा अवधि 2005–2006 से 05.01.2009 तक कत्थे का कार्य मण्डी समिति से आवष्यक लाईसैंस प्राप्त किए बिना ही जारी रखा गया तथा मण्डी समिति द्वारा डी0एफ0ओ0 कुनिहार से आवष्यक दस्तावेज प्राप्त कर ₹2,12,960.00 का मण्डी शुल्क वसूल किया गया जिस पर नियमानुसार हिमाचल प्रदेश कृषि एवं उद्यान (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 75 के अनुसार देय मण्डी शुल्क के बराबर व अधिकतम पांच गुणा मण्डी शुल्क दण्ड सहित वसूल किया जाना वांछित था। जिसे अब वसूल करके शीघ्र–अतिषीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अर्थात सम्बन्धित फर्म से ₹10,64,800.00 की वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए।

इसी प्रकार मैं0 जय प्रकाश सीमेन्ट प्रोजैक्ट बाधा तहसील अर्की, जिला सोलन द्वारा भी अवधि 01.04.2008 से 23.11.2008 के दौरान ₹1,55,08,410.00 के कृषि जिन्सों का क्रय मण्डी समिति से लाईसैन्स प्राप्त किए बिना ही

किया गया जिस पर ₹1,55,084.00 के मण्डी शुल्क की अदायगी तो की गई परन्तु देय जुर्माना राशि वसूल नहीं की गई जिसकी राशि ₹7,75,420.00 बनती है जिसकी वसूली शीघ्र–अतिषीघ्र की जानी सुनिष्चित की जाए। अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 8, दिनांक 22.06.2010 व अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11, दिनांक 29.06.2010

7 e.Mh 'kYd ₹8]88]080-00 dh olwyh u gksuk %&

उप मण्डी नालागढ़ के लेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि मैं0 षिव कत्था उद्योग मानपुरा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन द्वारा अवधि 2004–05 से 2007–08 के दौरान देय मण्डी शुल्क का भुगतान मण्डी समिति को नहीं किया गया जिसका ब्यौरा परिशिष्ट ''ञ'' पर संलग्न है। देय मण्डी शुल्क का भुगतान न करने पर हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन नियम 1971 के नियम 82 तथा हिमाचल प्रदेश कृषि उद्यान उपज विपणन (सामान्य) नियम 2006 की धारा 37(8) में चुराये गए मण्डी शुल्क के बराबर व अधिकतम पांच गुणा तक दण्ड लगाने का प्रावधान है। अतः मैं0 षिव कत्था उद्योग से ₹8,88,080.00 की वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 35(ए) दिनांक 13.11.2009

8 jkf'k ₹1]28]505-00 crkj e.Mh 'kYd dh de olwyh %&

एच0पी0एम0सी0 परवाणु की वर्ष 2004–05 व 2005–06 की मण्डी शुल्क की जाँच के दौरान पाया गया कि एच0पी0एम0सी0 द्वारा ₹12,28,505.00 का मण्डी शुल्क देय था जबकि फर्म द्वारा मात्र ₹11,00,000.00 का ही भुगतान मण्डी समिति को किया गया इस प्रकार ₹1,28,505.00 की वसूली सम्बन्धित उक्त फर्म से शीघ्र अति–षीघ्र की जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37, दिनांक 11.11.2009

9 df"k ftUlksa ds Ø; ij ₹44]484-00 e.Mh 'kYd dh vnk;xh u djuk %&

मैं0 जय प्रकाश सीमेन्ट परियोजना बाधा, तहसील अर्की, जिला सोलन के लेखों (मण्डी शुल्क नस्ति) की जाँच के दौरान पाया गया कि मैं0 जय प्रकाश द्वारा अवधि 02.02.2008 से 26.09.2008 तक ₹7,41,409.00 के कृषि जिन्सों का क्रय किया गया जिस पर नियमानुसार ₹7,414.00 का मण्डी शुल्क देय था जिसे निर्धारित समय अवधि में अदा न करने की स्थिति में दोषी से यह राशि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औधोगिकी उपज विपणन (सामान्य) नियम 2006 के नियम 37(8) के अनुसार पांच गुणा जुर्माने/दण्ड सहित वसूल करने का प्रावधान है। अतः मैं0 जय प्रकाश सीमेन्ट प्रोजैक्ट बाधा से ₹44,484.00 की राशि वसूल की जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10, दिनांक 29.06.10

10 jkf'k ₹17]784-00 d: e.Mh 'kYd dh olyh ckj: %&

मै0 ज्ञान चन्द एण्ड सन्स, चण्डी, जिला सोलन, के वर्ष 2008–09 के मण्डी शुल्क की जाँच के दौरान पाया गया कि मैं0 ज्ञान चन्द द्वारा दिनांक 09.09.2008 व 28.09.2008 को ₹2,96,458.00 की खरीद दर्षाई गई है जिस पर फर्म द्वारा देय मण्डी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया हैं। अतः देय मण्डी शुल्क की वसूली हिमाचल प्रदेश कृषि उद्यान उपज विपणन (सामान्य) नियम 2006 के नियम 37(8) के अनुसार पांच गुणा जुर्माने सहित अर्थात ₹17,784.00 की वसूली सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए। अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 20, दिनांक 28.07.2010

11 jkf'k ₹1]83]364-00 dh Ø; ij n; ₹11]004-00 dh e.Mh 'kYd dh 'k"k olyh %&

मै0 नरेन्द्र सिंह, सुधीर सिंह, दुकान नम्बर 10 राजगढ, जिला सिरमौर के अवधि 2008–09 के मण्डी शुल्क लेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि व्यापारी द्वारा ₹1,83,364.00 मूल्य की खरीद पर देय ₹1,834.00 का भुगतान मण्डी समिति को नहीं किया गया है और मण्डी शुल्क का भुगतान न होने पर हिमाचल प्रदेश कृषि एवं उद्यान उपज विपणन (सामान्य) नियम, 2006 की नियम 37(8) में देय मण्डी शुल्क की वसूली को 5 गुणा जुर्माने सहित वसूल किए जाने का प्रावधान है। अतः देय मण्डी शुल्क के साथ ₹9,170.00 के जुर्माने की भी वसूली की जाए अर्थात ₹11,004.00 की वसूली शीघ्र अतिषीघ्र कर अंकेक्षण को अवगत करवायें। अंकेक्षण अधिचाचना संख्या 15, दिनांक 15.07.2010

12 vk;dj foHkkx dk ₹43]46]720-00 dk vufpr Hkxrku %&

मण्डी समिति सोलन द्वारा कन्टीनसेन्ट बिल संख्या 319, दिनांक 08.10.2009 व बिल संख्या 546, दिनांक 09.02.2010 द्वारा क्रमशः ₹14,05,869.00 व ₹14,00,000.00 का भुगतान आयकर विभाग को कर निर्धारण वर्ष 2006–07 की आयकर रिर्टन समय पर न भरने के कारण बतौर दण्ड (Penalty) करना पड़ा जिसे समय पर आयकर रिर्टन फाईल करके बचाया जा सकता था तथा यह भुगतान मण्डी समिति कोष से किया गया अनुचित भुगतान है तथा मण्डी समिति को ₹28,05,869.00 की वित्तीय हानि हुई है जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार के व्यर्थ व्यय की पुनरावृति पर पूर्ण अंकुश लगाया जाए।

इसी प्रकार कर निर्धारण वर्ष 2007–08 व 2008–09 के आयकर का समय पर भुगतान न करने के कारण मण्डी समिति को कन्टीनजेन्ट बिल संख्या 551, दिनांक 17.02.2010 द्वारा ₹15,40,851.00 का अनुचित भुगतान बतौर

आयकर ब्याज करना पड़ा। (₹8,91,080.00 कर निर्धारण वर्ष 2007–08 व 6,49,771.00 कर निर्धारण वर्ष 2008–09) जिसके भुगतान में देरी हेतु सम्बन्धित चूककर्त्ताओं का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

(1) अंकेक्षण अधियाचना संख्या 42(ए), दिनांक 18.02.2010

(2) अंकेक्षण अधियाचना संख्या 43, दिनांक 23.02.2010

13 e.Mh 'kYd dh fu;ekuqlkj fu/kkfjr le; e olyh u gkus d QyLo:i yk[kk #i;k dh tqekuk jkf'k dh olyh n; %&

हिमाचल प्रदेश कृषि (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 45 के अर्न्तगत सभी व्यापारियों/कमीषन एजेन्टों द्वारा कृषि जिन्सों के क्रय–विक्रय या प्रोसैसिंग के 14 दिनों के भीतर–भीतर एकत्रित मण्डी शुल्क को समिति के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। परन्तु मण्डी समिति के लगभग सभी लाईसैन्स धारियों द्वारा उक्त नियमों का उलंधन किया जा रहा है। उक्त नियमों की उलंधना के लिए अधियाचना की धारा 45 के अनुसार दोषियों से मण्डी शुल्क के पांच गुणा के बराबर जुर्माने के साथ मण्डी शुल्क की वसूली की जानी वांछित है परन्तु समिति द्वारा इस धारा के अनुसार दोषियों से जुर्माने की वसूली नहीं की जा रही है जिससे संस्था के नियमों की पालना नहीं की जा रही है तथा समिति को जुर्माने के रूप में प्राप्त होने वाली लाखों रुपयों की हानि उठानी पड़ रही है तथा मण्डी शुल्क भी समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः उपरोक्त प्रकरण में ठोस तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट करें तथा संपरीक्षा सुझावानुसार उक्त वर्णित नियम की अनुपालना सुनिष्चित की जाए।

इस अनियमितता को वर्ष 2008–09 की ऑडिट रिपोर्ट में भी सम्मिलित किया गया था परन्तु अभी भी इस पर कोई सन्तोषजनक कार्यवाही नहीं की गई। अतः अनियमितता का यह प्रकरण पुनः समिति के अधिकारियों के विषेष ध्यानार्थ आवष्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 42, दिनांक 04.02.2010

14 0;kikfj;k@deh'ku ,tUVk }kjk fd, x, Ø;&foØ; dh fjVuZ iLrqr u djuk %&

मुख्य मण्डी समिति सोलन व अन्य उप–मण्डीयों के व्यापारियों/कमीषन एजैन्टों की मण्डी शुल्क से सम्बन्धित नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि परिशिष्ट ''झ'' में दर्षाये गए व्यापारियों/कमीषन ऐजैन्टों द्वारा उनके नाम के आगे दर्षाई गई अवधि मे किए गए क्रय–विक्रय पर न तो मण्डी शुल्क का भुगतान ही मण्डी समिति को किया गया है और न ही क्रय–विक्रय की रिटर्न ही मण्डी समिति को प्रस्तुत की गई है जिसकी गहन जाँच पड़ताल करके देय मण्डी शुल्क की वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए।

15 e.Mh 'kYd ₹3]000-00 dh olyh u gkuk %&

वर्ष 2008–09 की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि मैं0 चान्द टोमेटो कम्पनी गम्बरपुल, द्वारा तहसीलबार वसूली के माध्यम से चैक संख्या 293736, दिनांक 30.12.2008 को ₹3,000.00 का चैक बकाया मण्डी

शुल्क की एवज़ में सचिव मण्डी समिति सोलन के पक्ष में जारी किया गया जिसे बैंक द्वारा इस आधार पर जमा करने से इन्कार कर दिया गया कि खाताधारक के हस्ताक्षर का मिलान चैक जारी करने वाले के हस्ताक्षर से नहीं मिल रहा था। उक्त चैक को प्रभारी द्वारा फर्म को लौटा दिया गया, न तो चैक लौटाते वक्त प्रभारी द्वारा चैक की न तो रसीद ही जारी की गई और न ही मण्डी शुल्क की राशि को प्राप्त करने का कोई प्रयास ही किया गया। अतः चान्द टोमैटो कम्पनी, गम्बरपुल से मण्डी शुल्क की राशि नियमानुसार देय दण्ड शुल्क सहित वसूल की जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 33, दिनांक 10.11.2009

16 iHkkjh Vfeuy e.Mh ijok.k }kjk ,d l s vf/kd ikfIr ,o forj.k iLrdk dk j[k&j[kko%&

टर्मिनल मण्डी परवाणु की वर्ष 2009–10 की आय की जाँच करने पर पाया गया कि प्रभारी द्वारा उनके कार्यक्षेत्र की आय के अभिलेख हेतु एक से अधिक प्राप्ति एवं वितरण पुस्तकों को लगाया गया है जिससे कि एकत्रित की जा रही आय के दुर्विनियोजन/गबन की सम्भावना बनी रहती है। अतः प्रभारी द्वारा विभिन्न पुस्तकों के स्थान पर एक ही प्राप्ति एंव वितरण पुस्तिका में सभी आय का अभिलेख तैयार कर प्रत्येक माह के अन्त में सभी क्षेत्रों की आय का मद वार ब्यौरा सारांश रूप में तैयार किया जाना सुनष्चित किया जाए, जिससे की संस्था को क्षेत्र विषेष से प्राप्त होने वाली आय के तुलनात्मक विवरण की उपलब्धता के साथ–साथ संस्था के मानवीय श्रम एवं धन में भी मितव्ययिता लाई जा सके व किसी प्रकार के दुर्विनियोजन से भी बचा जा सके। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 5, दिनांक 11.05.2009

17 n|dkuk@dk;kZy;k dk fcuk ifrHkfr d s vkcVu %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा निम्न आढतियों/कमीषन एजैन्टों को दुकानों/कार्यालयों का आबंटन बिना प्रतिभूति प्राप्त किए ही कर दिया गया है जबकि आबंटन की शर्तों/नियमों के अनुसार आबंटन से छः माह के किराये के बराबर की प्रतिभूति राशि प्राप्त किया जाना वांछित है जिसे शीघ्र–अतिषीघ्र आबंटक से वसूल कर समिति कोष में जमा किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

vk<fr;k@deh'ku ,tUVk dk fooj.k ftul s ifrHkfr jkf'k yh tkuh g s %&

Øe l[;k	fooj.k	LFkku
1	सर्वश्री सुरेन्द्र पाल, कमरा नम्बर–1	कण्डाघाट
2	हार्टिकल्चर इनपुट ऑफिस गोदाम नम्बर–2	कण्डाघाट
3	हार्टिकल्चर टी एण्ड ई ऑफिस गोदाम नम्बर–2	कण्डाघाट

4	रणजीत सिंह, कमरा नम्बर 1 व 2	कण्डाघाट
5	ऑफिस स्टोर, कमरा नम्बर 4	कण्डाघाट
6	वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी, शॉप नम्बर –1	सपरून (सोलन)
7	सोलन जिला को–आप्रेटिव एम0 एण्ड सी0 फेडरेषन लि0, शॉप नम्बर –4	सपरून (सोलन)
8	सोलन जिला को–आप्रेटिव एम0 एण्ड सी0 फेडरेषन लि0, गोदाम नम्बर –3	सपरून (सोलन)
9	सोलन जिला को–आप्रेटिव एम0 एण्ड सी0 फेडरेषन लि0, गोदाम नम्बर –4	सपरून (सोलन)
10	जगदीश पवंर, कण्टीन	धर्मपुर
11	श्री दीवान चन्द शर्मा, शॉप नम्बर–1	चक्की का मोड़
12	ज्ञान चन्द शर्मा, शॉप नम्बर–5	चक्की का मोड़
13	मैं0 कुलदीप सिंह, शॉप नम्बर–7	चक्की का मोड़
14	डिप्टी डायरैक्टर कृषि, शॉप नम्बर–8	चक्की का मोड़
15	मैं0 गंगा राम, शॉप नम्बर–9	चक्की का मोड़
16	मैं0 ज्ञान चन्द शर्मा, गोदाम नम्बर–4	चक्की का मोड़
17	क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी	सोलन
18	भू–संरक्षण अधिकारी, शॉप नम्बर–1	अर्की
19	श्रम एवं नियोक्ता अधिकारी	सोलन

18 ukykx< fLFkr flpkbZ ;kstuk dk cUn djuk %&

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/96 के पैरा संख्या 10 के सटिप्पण उत्तर के अवलोकन पर पाया गया कि नालागढ़ स्थित सिंचाई योजना जून, 1991 में बन्द कर दी गई थी, जिसे कि दिसम्बर, 1978 में ₹1,27,262.00 की लागत से स्थापित किया गया था। परन्तु समिति द्वारा न तो उक्त सिंचाई योजना को स्थापित करने में प्रयुक्त प्लान्ट एवं मषीनरी तथा अन्य सामान की भण्डारण प्रविष्टि दर्षाइ गई है और न ही प्लान्ट एवं मषीनरी को बन्द करने के उपरान्त उसकी मषीनरी व अन्य सामान का डिस्पोज़ल (निपटारा) ही दर्षाया गया है जिसे शीघ्र–अतिषीघ्र अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाए अन्यथा उसकी पूर्ण राशि की चूककर्त्ता अधिकारी/कर्मचारी से वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 7, दिनांक 25.05.2009

19 foJke x`g dh vk; olwyh e: vfu;ferrk %&

मण्डी समिति के अवधि 2008–09 के मुख्य विश्राम गृह के रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 19.06.2008 को माननीय अध्यक्ष, मण्डी समिति सोलन द्वारा विश्राम गृह का औचक निरीक्षण किया गया और पाया गया कि विश्राम गृह के दौ कमरों में आगन्तुक ठहरे हुए हैं परन्तु विश्राम गृह पंजिका में उसकी कोई प्रविष्टि नहीं की गई है। अतः मण्डी समिति द्वारा इस बारे की गई कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा सम्बन्धित कर्मचारी से आवष्यक वसूली भी की जानी सुनिष्चित की जाए।

इसी प्रकार दिनांक 23.07.2008 से 25.07.08 (वा0सं0 542 से 547) तक ₹1,090.00 की वसूली देय थी परन्तु चौकीदार द्वारा मात्र ₹915.00 की राशि ही मण्डी समिति के खाते में जमा की गई थी अर्थात ₹175.00 की शेष राशि की शीघ्र वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए। दिनांक 13.08.2008 को भी ₹350.00 की वसूली वांछित थी जबकि मात्र ₹80.00 ही वसूल किया गया है ₹270.00 की राशि की वसूली दोषी कर्मचारी/अधिकारी से सुनिष्चित की जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया है कि विश्राम गृह के चौकीदार द्वारा बिना कोई प्रमाण पत्र प्राप्त किए ही विश्राम गृह में रियायती दरों पर आगन्तुकों का ठहराव दर्षाया गया है जो कि उचित नहीं है अतः वित्त वर्ष 2008–09 में रियायती दरों की सभी प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाने के साथ–साथ इस हेतु जारी परमिट भी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएं अन्यथा सभी रियायती प्रविष्टियों की वसूली ₹175.00 की दर से की जानी सुनिष्चित करें व अनुपालना से यथा समय अंकेक्षण को अवगत करें। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12, दिनांक 01.06.2009

20 okgu la[;k ,p0ih0&12¼,½&0006 dh ykx cqd dk mfpr j[k&j[kko u djuk %&

मण्डी समिति के वाहन संख्या एच0पी0–12(ए)0006 की लॉग बुक अवधि 4/2008 से 3/2009 की जाँच के दौरान पाया गया कि वाहन के चालक द्वारा गाड़ी की लॉग बुक का उचित रख–रखाव नहीं किया जा रहा है जिसमें निम्न अनियमिततायें पाई गई :–

(1) मण्डी समिति द्वारा पत्र संख्या ए/एस0एस0सी–1–55/2001–836, दिनांक 25.03.08 द्वारा गाडी की औसत 8.5 कि0मी0/प्रति लीटर निर्धारित की गई है जबकि वाहन के चालक द्वारा बहुत ही कम औसत दर्षाई गई है, जो कि निम्न वर्णित है।

Øe la[;k	ekg	n'kkbZ@nh xbZ vkSlr izfr yhVj
1	3/2009	7.00

2	4/2009	8.20
3	5/2009	7.05
4	6/2009	6.55
5	7/2009	6.10
6	8/2009	8.00
7	9/2009	8.00

निर्धारित औसत से कम औसत दिए जाने के कारणों की जाँच तथा उसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(2) वाहन के चालक द्वारा गाड़ी की औसत भी वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या फिन–1(सी)14–1/92–खण्ड–2, दिनांक 22.04.99 के निर्देषों के अनुसार नहीं निकाली जा रही है जा कि उचित नहीं है। अतः वित विभाग द्वारा निर्धारित मानकों से कम दूरी तय करने के कारण हुई हानि का आंकलन करके सम्बन्धित कर्मचारी से आवयष्क वसूली सुनिष्चित की जानी अपेक्षित है।

(3) अवधि अप्रैल, 2008 से सितम्बर, 2009 तक वाहन को किन–किन स्थानों पर ले जाया गया तथा किस उद्देष्य हेतु ले जाया गया है का भी वर्णन नहीं किया गया है जबकि इस अवधि में वाहन द्वारा 3267 कि0मी0 की दूरी तय की गई हैं जिसे या तो स्पष्ट किया जाए या 3267 कि0मी0 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से निजी दरों पर की जानी सुनष्चित की जाए।

(4) अवधि 4/2008 से 3/2009 तक निकाली गई गाड़ी की औसत को भी सक्षम अधिकारी से सत्यापित नहीं किया गया है जिसे सत्यापित कर अंकेक्षण को प्रस्तुत करें।

(5) माह 6/2008 व 8/2008 के अन्त में गाड़ी में शेष ईंधन की मात्रा शून्य दर्षाई गई है जबकि वाहन में 30.08.2008 के बाद 03.09.2008 को डीजल डाला गया है, 167 कि0मी0 की दूरी तय की गई है जिससे ऐसा प्रतित होता है कि चालक द्वारा शेष ईंधन की मात्रा को सही न दर्षाकर औसत निर्धारित करने हेतु कम या ज्यादा इच्छानुसार दर्षाया जा रहा है जिसे स्पष्ट किया जाए।

(6) अवधि 17.09.2008 से 27.02.2009 के मध्य वाहन द्वारा 167 कि0मी0 की दूरी तय की गई है जिसके स्थान व उद्देष्य की वाहन में कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई है जिसकी या तो सही स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा निजी दरों से 167 कि0मी0 की वसूली की जाए।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37, दिनांक 24.11.2009

21 <u>fu"d"k</u> %& मण्डी शुल्क की समय पर एवम् विहित प्रावधानानुसार वसूली किए जाने हेतु विषेष ध्यान देने की आवष्यकता है।

उप–निदेषक,
स्थानीय लेख परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश षिमला–171009.

v

vd{k.k

ifronu 2009&10 d ijk&1 e lUnfHkr ifjf'k"V&^^d**

ijku vd{k.k ifronuk d vkfMV ijk dh uohure lph fuEu idkj l g %&

vd{k.k ifronu vof/k 4@84 l 3@85 rd ¼ukykx<½

1	पैरा 6	अनिर्णीत

vd{k.k ifronu vof/k 4@85 l 3@86 rd

1	पैरा 5(बी)	अनिर्णीत

vd{k.k ifronu vof/k 4@86 l 3@87 rd

1	पैरा 24(बी)	अनिर्णीत

vd{k.k ifronu vof/k 4@87 l 3@89 rd

1	पैरा 11	अनिर्णीत

vd{k.k ifronu vof/k 4@89 l 3@91 rd

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 16	अनिर्णीत

vd{k.k ifronu vof/k 4@91 l 3@96 rd

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 14 (1 व 2)	अनिर्णीत
3	पैरा 15 (क,ख)	अनिर्णीत

4	पैरा 17,18,20(ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 29	निर्णीत (कृत कार्यवाही एवं सन्तोषजनक उत्तर के उपरान्त)

vkd{k.k ifronu vof/k 4@96 ls 3@99 rd

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 29 (1,2,4)	अनिर्णीत
3	पैरा 31	अनिर्णीत
4	पैरा 40(3)	अनिर्णीत
5	पैरा 41,42,43,44,45 व 46	अनिर्णीत
6	पैरा 48 व 53	अनिर्णीत

vkd{k.k ifronu vof/k 4@99 ls 3@2003 rd

1	पैरा 13(क,ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 14	अनिर्णीत
3	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 21,35 व 41	अनिर्णीत
5	पैरा 43(क)	निर्णीत (कृत कार्यवाही एवं प्रस्तुत सन्तोषजनक उत्तर के उपरान्त)

vkd{k.k ifronu vof/k 4@2003 ls 3@2005 rd

1	पैरा 4(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 9,10	अनिर्णीत

3	पैरा 12(ङ)	निर्णीत	(कृत कार्यवाही एवं सन्तोषजनक उत्तर के उपरान्त)
4	पैरा 12(च)	अनिर्णीत	
5	पैरा 14(क)	अनिर्णीत	
6	पैरा 17	अनिर्णीत	

vads{k.k izfrosnu vof/k 4@2005 ls 3@2006 rd

1	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत
2	पैरा 11,13,14,16(ख)	अनिर्णीत

vads{k.k izfrosnu vof/k 4@2006 ls 3@2007 rd

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 7,8,9,10(क, ज)	अनिर्णीत

vads{k.k izfrosnu vof/k 4@2007 ls 3@2008 rd

1	पैरा 4(ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 5 से 11	अनिर्णीत
3	पैरा 13,14 व 16	अनिर्णीत

vads{k.k izfrosnu vof/k 4@2008 ls 3@2009 rd

1	पैरा 4	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क प्राप्त पैरा समाप्त)
2	पैरा 5	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन (2009–10) में सम्मिलित कर लिया गया है)
3	पैरा 6 से 21	अनिर्णीत	